प्रकरण संख्याः 101/2021

प्रार्थीगण :–

1. शेरखां वल्द मठार खां
कौम मुसलमान साकिन मुसलमानों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. आदू वल्द नसीर वगैरा (11)
12. राजस्थन सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री ईशाक खां अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13.11.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 समठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प **नेहरों का वास** पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073–2076 सरहद मौजा मुसलमानों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 14. 5120 है0, खसरा नम्बर 76/1 रकबा 1.1493 है0 का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा मुसलमानों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 14.5120 है0, खसरा नम्बर 76/1 रकबा 1.1493 है0 भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 11:33:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 13.11.21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **नेहरों का वास** में मजमेआम खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आडेल)

दिनांक : 24/11/21

क्रमांक: वाद / 2021 / 779

प्रार्थीगण — शेरखां

बनाम

विप्रार्थीगण — आदु कौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

निर्णय दिनांक – 12-11-21

राजस्व आवेदन सं. 101/21

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम [illegible] के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 15.5120 खसरा नम्बर 76/1 रकबा 1.1823 खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आडेल

दिनांक 23-11-21

क्रमांक: वाद / 2021 / 780-783

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी R.G.T.
3. हल्का पटवारी [illegible] को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी शेरखां
5. विप्रार्थी आदु कौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 11:33:23 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आडेल